तेल उद्योग विकास बोर्ड ओआईडीबी भवन, सेक्टर 73 नोएडा

प्रथम नियुक्ति के समय और/ अथवा दिनांक 1.1.2014 को अचल संपत्ति का ब्योरा

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY RETURN ON FIRST APPOINTMENT & OR AS ON 1st JANUARY 2014

आवेदक का नाम / Name Of Applicant. AJAY SRIVASTA VA, IES

र्वर्तमान पद / Present post. FA&CAO

बर्तमान वेतन रु./ Present pay Rs. 44,700 + Rs. 8700 G.P.

उस जिले, उप - मंडल, तहसील और गाँव का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है/Name of District, sub- Division, Taluka & village in which property is situated.	अन्य इमारत	वर्तमान मूल्य Present value	है,तो उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर है तथा कार्मिक से उस व्यक्ति का संबंध/ If not in own name, state in whose	क्या संपत्ति खरीदी, पट्टे पर ली गई/गिरवी, विरासत या उपहार में मिली अथवा अन्य किसी प्रकार से मिली संपत्ति। जिससे संपत्ति ली गई उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम व अधिग्रहण की तिथि सहित ब्यौरा,/How acquired, whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and names with details of person/persons from whom acquired.	The second secon
INDIRAPURAM GIHAZIABAD (U.P.)	FLAT No. 450-1 SMIPRA SUNC	Rs. 45 LAKM	5.	HBA from Grovt. & Housing Laan	7. NIL

- जो लागू नहीं हो उसे काट दें | Inapplicable clause to be struck out.
- यदि संपत्ति का यथार्थतः निर्धारित मूल्य नहीं आंका जा सकता तो उन स्थितियों में संपत्ति का वर्तमान अनुमानित मूल्य अवश्य लिखें | In cases, where it is not possible to asses the value accurately, the approximate value in relation to present condition may be indicated.
- अल्पकालीन पट्टा भी अवश्य जोड़ें | Includes short term lease also.

नोट:- यह घोषणा प्रपन्न सैन्ट्रल सिविल सेवा (संचालन) नियम 15(3), 1965 के अनुसार सभी ग्रुप । व ।। के अधिकारियों (सभी अराजपत्रित कार्मिकों को मिला कर) को उनकी प्रथम नियुक्ति पर तथा उसके पश्चात् संपूर्ण सेवाकाल में प्रत्येक 12 महीने के अंतराल पर जमा करवाना होगा जिसमें उन्हें स्वयं के या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर खरीदी या विरासत में मिली, या पटटे या गिरवी रखी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है ।

NOTES: The declaration form is required to be filled in and submitted by every member of Class I & II Officers (including all non-gazetted) under rules 15 (3) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1965 on first appointment to his service and thereafter at the interval of every twelve month, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him on lease or mortgage either in his own name or any other person of his / her family.

उत्तर आलेख (चल व बहुमूल्य संपत्ति) | Post Script (Movable and valuable property)

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर दिनांक सहित

SIGNATURE OF GOVT. SERVANT WITH DATE